

①

Name of College,

R.B.G.R. College,

Maharajganj, Siwan

Page:

Date: / /

Course - T.D.C. part II

Subject - Political Science

Paper - 3rd Honours

Topic - The political philosophy
of the Indian Constitution.

~ भारतीय संविधान के राजनीतिक
दर्शन ~

Presented by

Dr. M.P. Kalimullah

Designation Asst. Professor

Dept. of Pol. Sc.

Introduction

दुनियादीतौर पर संविधान एक वैधानिक प्रलेख (legal document) होता है किन्तु इसके निर्माण के पीछे कुछ निश्चित मूल्य, आदर्श तथा राजनीतिक दर्शन होते हैं। कोन मूल्य, आदर्श, उद्देश्य एवं दर्शन प्रत्येक संविधान के समान नहीं होते हैं बल्कि भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे संविधान निर्माता संविधान निर्माण करते समय अपनी दृष्टि से रखते हैं और इसे केवल राजनीतिक दर्शन का आवारा न होकर जाना जा सकता है। वैधानिक आवारा बन नहीं

संविधान के कुछ

अन्तर्निहित दुनियादी मूल्य, आदर्श

② एवं दर्शित होते हैं कि वह अपना मह
है हम संविधान निर्माताओं को
मावणाओं तथा कल्पनाओं का आधार
कर सकते हैं। भारतीय संविधान
निर्माताओं के गरी कुल्ले आधारभूत
मूल्य, उद्देश्य आदर्श एवं राजनीतिक
दर्शन थे, कि वह अपना किता हम
संविधान की आत्म को नहीं समझ
सकते हैं। अतः भारतीय संविधान
के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन
निम्नादि विषयों द्वारा किया
जा सकता है →

(1) लोकप्रिय सम्प्रभुता का
लिङ्गान्त (Principle of popular
sovereignty) -

भारतीय संविधान की
प्रस्तावना का प्रारम्भ "हम भारत के लोग"
(We the people of India) के साथ
होता है जो इस बात को स्पष्ट करता
है कि संविधान का निर्माण भारत के
लोगों के द्वारा किया गया है और भारत
में जनता ही सर्वोच्च है। संविधान की
शक्ति का स्रोत मूलतः जनता है। अतः
लोकप्रिय सम्प्रभुता भारतीय संविधान
का आधार एवं बुनियाद है।

(2) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य
(Fully sovereign state) →

ब्रिटिश उपनिवेशवादी
शासन ने मुन्नी के भारत एक पूर्ण
प्रभुत्व सम्पन्न राज्य को बना। इसका

(3)

तात्पर्य है कि भारत आधुनिक एवं
माहा देशों की श्रेणी में आता है। 1828
एतत् के विभक्तियों से मुक्त है। और
अपनी नीतियों का निर्माण बिना किसी
देश के निर्धारण करता है।

(3) समाजवाद (Socialism) →

यह व्यक्ति संश्लेषण

है। प्रस्तावना है समाजवाद शब्द सोवियत
संघ के उद्देश्य को पुरी तरह से
समझ कर दिया गया है। समाजवादों का
वितरण इस प्रकार है कि हर स्तर पर
वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाए।
सर्व व्यक्ति का कार्यक्षेत्र हो होना
एक को दुसरे की सहायता में लाना
कराई जाए।

(4) - धर्म निरपेक्षता

(Secularism) → धर्म निरपेक्षता का

अर्थ है कि राज्य द्वारा किसी धर्म
विशेष का प्रचार-प्रचार नहीं किया
जाएगा और सभी नागरिकों को राज्य की
दृष्टि में समान होंगे। भारतीय संविधान
में भारत के एक धर्म निरपेक्ष राज्य की
स्थापना करता है और राज्य को यह
बुझा देता है कि व्यक्तियों के धर्मों का
सम्बन्ध इस समाज में दखलें नहीं
कर सकता है। यह है इस धर्म निरपेक्षता
का प्रत्यक्ष प्रमाण न दिया जाए।

(5) लोकतान्त्रिक (Democratic)

भारत में प्रत्यक्ष लोक
पर प्रजातन्त्रिय व्यवस्था को अपनाया

(5)

गया है। शासन का संघीय प्रणाली का
रूप का संघीय प्रणाली का
लेखी जाने विचार के रूप में।
इस प्रकार शासन में विधि-का शासन
(Rule of Law) होता।

(6) गणराज्य (Republic)

गणराज्य का शाब्दिक
अर्थ है कि राजा का शासन प्रणाली है
जहाँ इसमें अन्तर्गत रूप का अर्थ
अर्थात् राष्ट्रपति निर्वाचित होता है न
कि वंशानुगत।

(7) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

(Individual Freedom) व्यक्ति की
स्वतन्त्रता भारतीय संविधान का
आधारभूत अंग है और यह व्यक्ति की
स्वतन्त्रता के लिए प्रविष्ट है। व्यक्ति
की स्वतन्त्रता पर जब भी राज्य का
हस्त है हमारे संविधान के अन्तर्गत
व्यक्ति का प्रभाव दिया है। भारतीय
संविधान द्वारा इसकी गारंटी है
जहाँ पर देता है। यह हमें स्वतन्त्रता
आन्दोलन के दौरान भी आन्दोलनकारियों
के अन्तर्गत प्रभावों एवं प्रविष्टों
में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अन्तर्गत
किया था।

(8) सामाजिक न्याय (Social Justice)

भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक
न्याय के अन्तर्गत भी गारंटी दी
गई है। विचार सामाजिक है और

②

Page:

Date:

भातव-भातव के बरिष, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर कोई भी व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि के लिए समर्थित अवसर पुनर्गण है। इनके साथ ही हमारे संविधान द्वारा समुदायित जाति, एवं जनजातियों के समर्थित इन्तान के लिए विशेष-रूप पर धारणा ना गरी प्रवधान किया गया है।

(9) विविधता तथा अवसरों के समर्थन के प्रति सम्मान (Respect for diversity and minority rights) भारत में हमलोक, जर्मनी, France आदि देशों के निम्न अनेक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं। संविधान निर्माताओं के समक्ष यह एक वास्तविक प्रश्न था कि ऐसे उपार किया जाए ताकि कोई समुदाय किसी दूसरे पर अनुचित प्रभाव के साथ न रहे। अतः उन्होंने धर्म, भाषा एवं संस्कृति पर आधारित समर्थन को मान्यता देना आवश्यक समझा। इसलिए इन आधारों पर अपनी विशेषता संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया। इनके साथ ही उन्हें धार्मिक स्थापना तथा समुदाय का भी प्रवधान किया।

(10) सर्वसम्मति मताधिकार

(7)

और वसाक का क्या प्रभाव है। विषय के उपर जोर नहीं है।

समग्र औ विषय के समग्र समग्र माना गया है और समग्र औ विषय का समग्र समग्र प्रभाव है। देश का संघात्मक विषय के अनुसार ही होगा कि विदेशी व्यापक विशेष रूप से वर्ग विशेष की इच्छा अनुसार।

(12) शान्तिशां के प्रथमका के सिद्धान्त (Theory of separation of powers) -

अमेरिकी संविधानकार यह मारतविषय संविधान उक्त की शान्तिशां के प्रथमका के सिद्धान्त का मान्यता दिया गया है किनु हमारे संविधान में इस सिद्धान्त को उतनी स्पष्टता के साथ नहीं अपनाया गया है। जितना कि अमेरिकी संविधान के उक्त, किह उर मारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतन्त्र रखने का हर संभव कोशिश नहीं की गई है। संविधान में मारत के तर्कों को नकारों का अनुमान मारत यह कता दिया गया है कि वे एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। के शान्तिशां मारत बनाने के लक्ष्य मारत मुक्त में से स्वतन्त्र न्यायपालिका के यह निर्णय दिया जा कि शान्ति प्रथमका मारतविषय संविधान का वापस मारत मारत मारत मारत है। शान्ति संविधान के संशोधन मारत मारत

(13) विधानाद विधेयता का
अर्थ (Doctrine of superma-
cy of constitution) :-

सर्वोच्च न्यायालय की
सर्वोच्चता हमारे राजनीतिक दर्शन
का आधार है। सर्वोच्च न्यायालय
हल दिए गए जनक विवादों के हल
तथ्य को स्वीकार किया गया है।
उदाहरण के लिए पाश्चिमी अफ्रीका राज्य
कनाडा भारत संघ, राजस्थान राज्य
कानून भारत संघ आदि मुकदमों
में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान
की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का आधार
तक घोषित किया है।

(14) संघीय शासन प्रणाली
(federal system of Govt.) -

मातृसंघ संविधान
इस मातृ संघ एक संघीय शासन
प्रणाली की व्यवस्था की गयी है।
यह कल्पना है कि संविधान
में कहीं की 'संघ' शासक का प्रयोग
नहीं किया गया है बल्कि अनुच्छेद
एक में कहा गया है कि "मातृ
राज्यों का संघ होगा" किन्तु संघीय
प्रणाली की अवस्था विद्यमान है मातृ
संविधान में अपना मातृ है।
मातृ संघीय व्यवस्था की
व्यवस्था नहीं की जा रही है।

(9)

अधिकांश यह संविधान का आधारभूत तत्व है।

Page:

Date:

(15) संसदीय शासन प्रणाली

(Parliamentary system of Govt) का आदर्श संविधान और संसदीय तथा राजस्व दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था का अपना आधार है। इस प्रणाली के अन्तर्गत राज्य का प्रधान मन्त्री का प्रधान होता है वास्तविक शासक मान्निपरिषद् के निर्देश होती है। लोक-सभा के विश्वास प्राप्त एक संसदीय मान्निपरिषद् तथा विधान-सभा के विश्वास प्राप्त राज्यसभा मान्निपरिषद् स्तरों से बना रहती है। अतः संसदीय शासन व्यवस्था का आदर्श संविधान का आधारभूत तत्व है।

(16) न्यायपालिका की स्वतंत्रता

(Independence of Judiciary)-

आदर्श संविधान और देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गयी है। न्यायपालिका को न्यायपालिका के नियमों से मुक्त रखने की हर सम्भव कोशिश की गयी है। संविधान एवं न्यायपालिका की नियुक्ति, स्थानान्तरण, वेतन एवं आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट और

(11)

राष्ट्र के नीति-निर्देशक तत्व संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धर्मों को दर्शाता है उन तत्वों को अपनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार की स्थापना हो सकती है। राष्ट्र के नीति-निर्देशक तत्व उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं जो संघ एवं राज्य सरकारों के लिए पद-प्रदर्शन होना चाहिए दोनों सरकारें उन्हें जादू की मान्यता अपनी-अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगी।

(1) न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति (power of judicial Review) -

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 तथा 226 के अन्तर्गत न्यायालयों (उच्च-न्यायालय और सर्वोच्च-न्यायालय) को न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति प्रदान करता है इसके अन्तर्गत न्यायालय को संसद, विधानमंडल तथा कार्यपालिका द्वारा निर्मित ऐसे विधियों को जो संविधान के प्रावनों के विरुद्ध हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

(2) राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता (Principle of Integrity of the Nation) -

राष्ट्र की एकता तथा संप्रभुता को ही राष्ट्र के आस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसलिए ये

12

सांवेदाय के आचार्यवर्तन हैं।
अलेखानेप है कि आचार्य सांवेदान
के अलेखी की अनुवर्द्ध में राव की
एकता एवं अखण्डता को हानि पहुँचाने
और आत्मव्यक्ति का तो काँड़ अलेख
रही है। अनुवर्द्ध का मे वाणीत
रत्न कर्तव्यो द्वारा मात की सम्प्रभुता
एकता एवं अखण्डता की रक्षा मर्त
तथा उसे इस अनुवर्द्ध का अखण्डता
समस्त निदेश दिया गया है।